तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
28.12.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 3213/भू.अ./22 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
06.02.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 06/02/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
82 / 2022	2022 / 372	09.11.2022	06.02.2023

उनवान प्रकरण

बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत उम्र 39 साल निवासी जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—प्रार्थी—

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थितः–

श्री अनिल यादव, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम जोरावरनगर पटवार हल्का जोरावरनगर भू–अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 107, 109 कुल किता–2 कुल रकबा 2.3700 है0 में से विक्रय लेख द्वारा विक्रेतागण बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह, प्रभूसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पुत्र मामनसिंह राजपूत निवासी जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर का हिस्सा सम्पूर्ण भूमि 1 आना का क्रय किया था। उपरोक्त खसरा नम्बरान में प्रार्थी का हिस्सा 1/16 भूमि है। खातेदारी जमाबंदी संवत 2068–2071 में बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी जोरावरनगर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। इसके बाद आगे चलकर सेग्रीकेशन की जमाबंदी बनाते समय सम्वत 2074 से 2077 में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि खसरा नम्बर 107, 109 कुल किता –2 कुल रकबा 2.3700 है0 में से हिस्सा 1/32 बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज की हिस्सेदारी व हिस्सा गलत दर्ज है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 107, 109 कुल किता– 2 कुल रकबा 2.3700 है0 में से हिस्सा 1/16 प्रार्थी–बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत ने बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह, प्रभूसिंह पुत्र मामनसिंह राजपूत निवासी जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर से क्रय की थी जो सही व सत्य हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 107, 109 कुल किता– 2 कुल रकबा 2.3700 है0 में हिस्सा 1/16 की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करके दुरुस्त किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय हैं । प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2064–2067 एवं जमाबंदी संवत 2064–2067 एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2074–2077, नामान्तरकण की फोटो प्रति, विक्रय लेख की फोटो प्रति, विक्रेता का सहमति शपथ पत्र एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में तैयार की गयी रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. एवं तहसीलदार भू.अ. श्रीमाधोपुर सीकर की तैयार की गयी रिपोर्ट संलग्न हैं। प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का से शुद्धिकरण व दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया तो न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत प्रस्तुत करके आदेश लाने हेतु कहा हैं। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम जोरावरनगर पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 107, 109 कुल किता–2 कुल रकबा 2.3700 है0 में प्रभूसिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मामनसिंह हिस्सा 1/64, बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह हिस्सा 1/64, बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/32 जाति राजपूत के स्थान पर बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/16 जाति राजपूत वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में शुद्धिकरण करके दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल.0आर0एक्ट में किया है।

इस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का पेश करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट लिये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये पत्रांक कमांक 2098/रीडर/22 दिनांक 08.12.2022 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 3213/भू.अ./2022 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

राजस्व ग्राम जोरावरनगर, पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.51 हैक्टर, 109 रकबा 1.86 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 2.3700 है0 की खातेदारी बिजेन्द्र सिंह पुत्र लादूसिंह हि0 1/32, प्रभूसिंह पुत्र मामनसिंह हि0 1/64, बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह हि0 1/64 जाति राजपूत के नाम तथा शेष हि0 जमाबन्दी अनुसार दर्ज रिकार्ड हैं। राजस्व ग्राम जोरावरनगर की सैटलमेन्ट जमाबन्दी के भूमि खसरा न0 209 में सह खातेदार प्रभूसिंह पुत्र मामनसिंह व बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत का हिस्सा एक आना अर्थात 1/16 दर्ज था। जो सैटलमैन्ट के पश्चात चौसाला [illegible] समय उक्त खातेदारों का हिस्सा सहवन से दो आना अर्थात [illegible] विक्रय लेख पंजिकरण कमांक/4509 हिदनांक 19.12.2008 के द्वारा खातेदार प्रभूसिंह पुत्र मामनसिह व बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह द्वारा हिस्सा एक आना अर्थात 1/16 बेचान बिजेन्द्र सिंह पुत्र लादूसिंह को कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दिया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 391 दर्ज रिकार्ड है। (विक्रय लेख व नामान्तरकण संख्या 391 की फोटो प्रति संलग्न है) सह खातेदार प्रभूसिंह पुत्र मामनसिंह व बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत द्वारा हिस्से की अशुद्धि के सम्बन्ध में बेचान के समय इकरारनामा भी प्रस्तुत किया है। सहखातेदार प्रभूसिंह पुत्र मामनसिंह व बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह के हिस्सा 1/32 के स्थान पर सहखातेदार विजेन्द्र सिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत का हिस्सा 1/16 किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030, 2064–2067, 2074–2077 दो जमाबन्दियॉ, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल, नामान्तकरण संख्या 391, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी, इकरारनामा, रजिस्टर्ड विक्रय लेख की फोटोप्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का जोरावरनगर व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 0.51 हैक्टर, 109 रकबा 1.86 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 2.3700 है0 के खातेदार प्रभूसिंह पुत्र मामनसिंह, बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह जाति रा[illegible]र्ज भूमियों में से हिस्सा 2 आना भूमि के 1/2 भाग का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख 19.12.2008 के द्वारा केता प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बिजेन्द्र सिंह पुत्र लादूसिंह के पक्ष में किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। जिसका चौसाला जमाबन्दी तैयार करते समय उक्त खातेदारों प्रभूसिंह पुत्र मानसिंह, बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत का हिस्सा सहवन से दो आना अर्थात 1/8 दर्ज हो जाना प्रकट होता है। उक्त हिस्से की अशुद्धि के सम्बन्ध में खातेदारान प्रभूसिंह पुत्र मानसिंह, बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह जाति राजपूत के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक ईकरारनामा भी दिनांक 19.12.2008 के द्वारा लिखा जाना प्रकट होता है। जिससे भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धि को शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में की है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में स्वीकार किया जाता है तथा तन् राजस्व ग्राम जोरावरनगर पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 107, [illegible] कुल किता–2 कुल रकबा 2.3700

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested

06/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है0 में प्रभूसिंह पुत्र मामनसिंह हिस्सा 1/64, बजरंगसिंह पुत्र छगनसिंह हिस्सा 1/64, बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/32 जाति राजपूत के स्थान पर बिजेन्द्रसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 1/16 जाति राजपूत वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/02/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/02/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.10 11:51:50 IST
Reason: SelfAttested